

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 414 /2022.लखनऊ:दि0::मार्च, 14 ,2022

--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-352/2022 दिनांक 04.03.2022 द्वारा फैजाबाद पीठ के युगल पीठों के वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 04.04.2022 से 07.04.2022 तक सदस्य पीठ-गोरखपुर एवं सदस्य पीठ-3 वाराणसी की खण्ड पीठ गठित की गयी है।

सदस्य पीठ-3 वाराणसी ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-100/22 दिनांक 10.03.2022 द्वारा निवेदन किया है कि उक्त अवधि में रमजान का पवित्र माह तथा कुछ व्यक्तिगत आवश्यक कार्य होने के कारण उक्त अवधि में फैजाबाद जाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

अतः सदस्य पीठ-3 वाराणसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.03.2022 में उल्लिखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उक्त युगल पीठ से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर सदस्य पीठ-2 इलाहाबाद को नामित किया जाता है।

शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0 / 14.03.2022  
( जितेन्द्र कुमार सिंह )  
एच0जे0एस0  
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 414 /2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 वाराणसी/पीठ-गोरखपुर/पीठ-2 इलाहाबाद।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद।
3. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्र0 निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।